—: ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में परीक्षार्थियों हेतु विस्तृत दिशा निर्देश :—

1—अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक घण्टे पूर्व उपस्थित होने को कहा गया है ताकि उन्हें परीक्षा से पूर्व परीक्षा सम्बंधी ब्रीफिंग दी जा सके और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके।

2— आप द्वारा ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रायोगिक टेस्ट(Mock test) को देख लिया होगा और उसकी प्रक्रिया को समझ लिया होगा, फिर भी यदि किसी बिन्दु पर आपको अस्पष्टता है, तो ब्रीफिंग के समय आप उसका समाधान कर लें।

3— यदि आपने प्रायोगिक टेस्ट को पहले से नहीं देखा है, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप ब्रीफिंग में इस प्रक्रिया को देखकर समझ सकते हैं। परीक्षा कक्ष में भी किसी समय कोई दिक्कत आने पर समाधान के लिए समुचित कार्मिक उपलब्ध रहेंगे।

4— ऑनलाईन परीक्षा के दिशा—निर्देश पूर्व में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिये गये थे।

5—लॉगइन की प्रक्रिया —परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए अपना यूजर आईडी (रोल नम्बर) एवं पासवर्ड (जन्म तिथी) का उपयोग करे। इसके पश्चात साइन इन (sign in) कर परीक्षा आरम्भ करें। जैसा कि निम्न स्कीन मे दर्शाया गया है :—

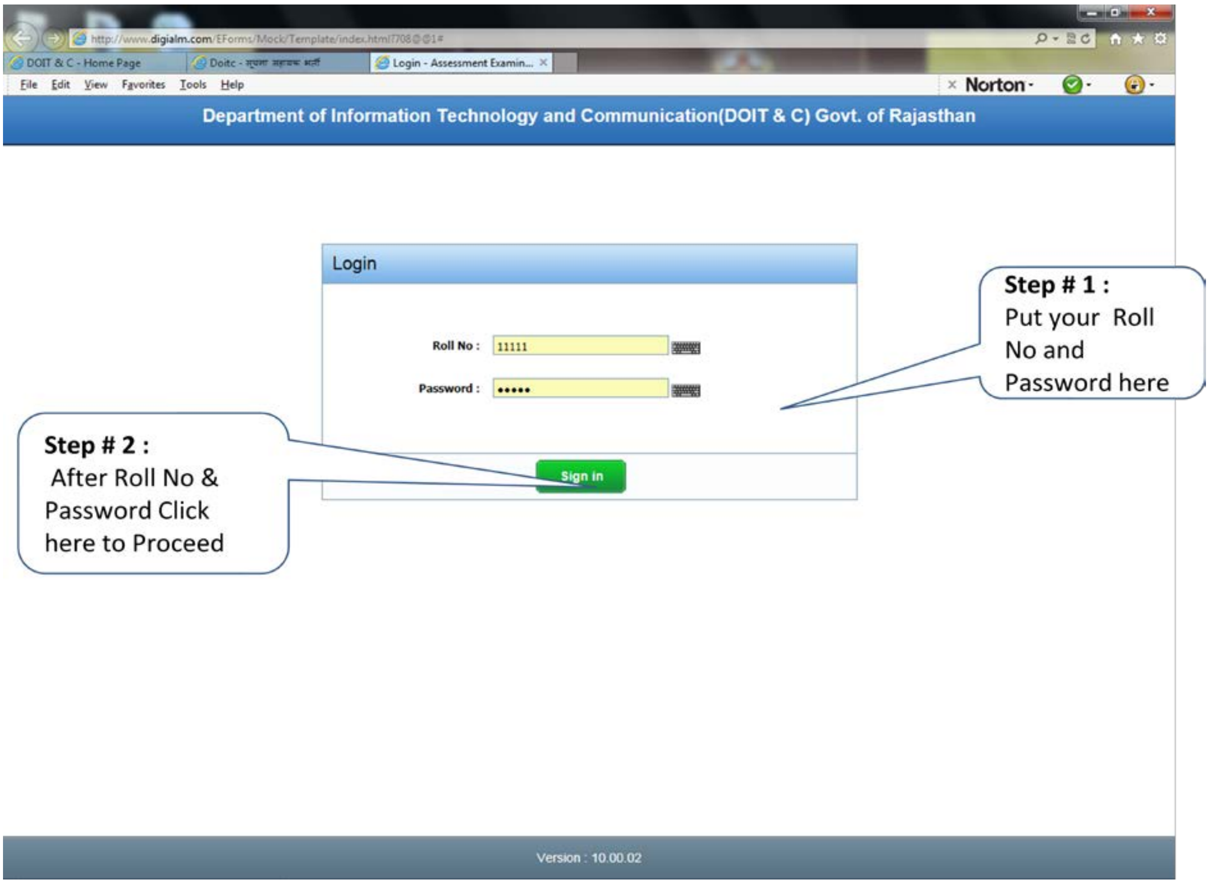

6–साइन–इन करने के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा के विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार दिखेंगे जिन्हे अभ्यर्थी को भली प्रकार पढ़ कर अगली स्क्रीन पर जाने के चिन्ह को स्लेक्ट करना है :–

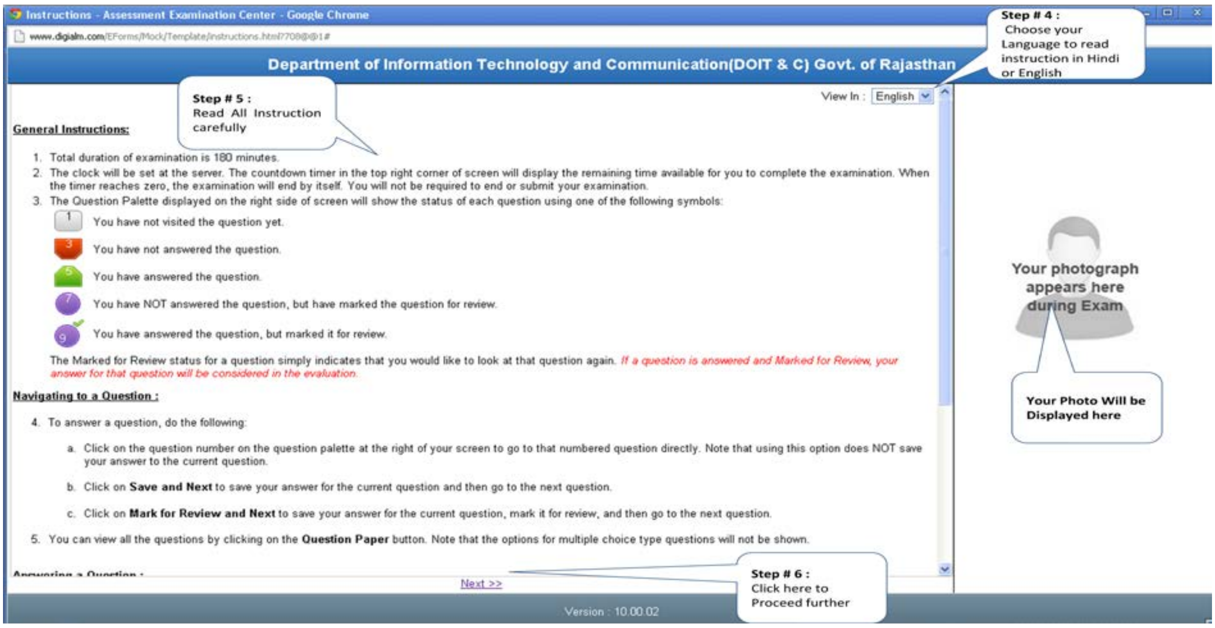

7–निम्न स्क्रीन पर अभ्यर्थी उक्त दिशा निर्देश को भली प्रकार पढ़ लेने हेतु सही का निशान लगाने एवं आन–लाईन परीक्षा स्क्रीन पर जाने के चिन्ह को सलेक्ट करने हेतु कहा गया है। अभ्यर्थी को घोषणा पर सहमति हेतु क्लिक करने के बाद "I am Ready to Beign" द्वारा पर क्लिक करना होगा। :–

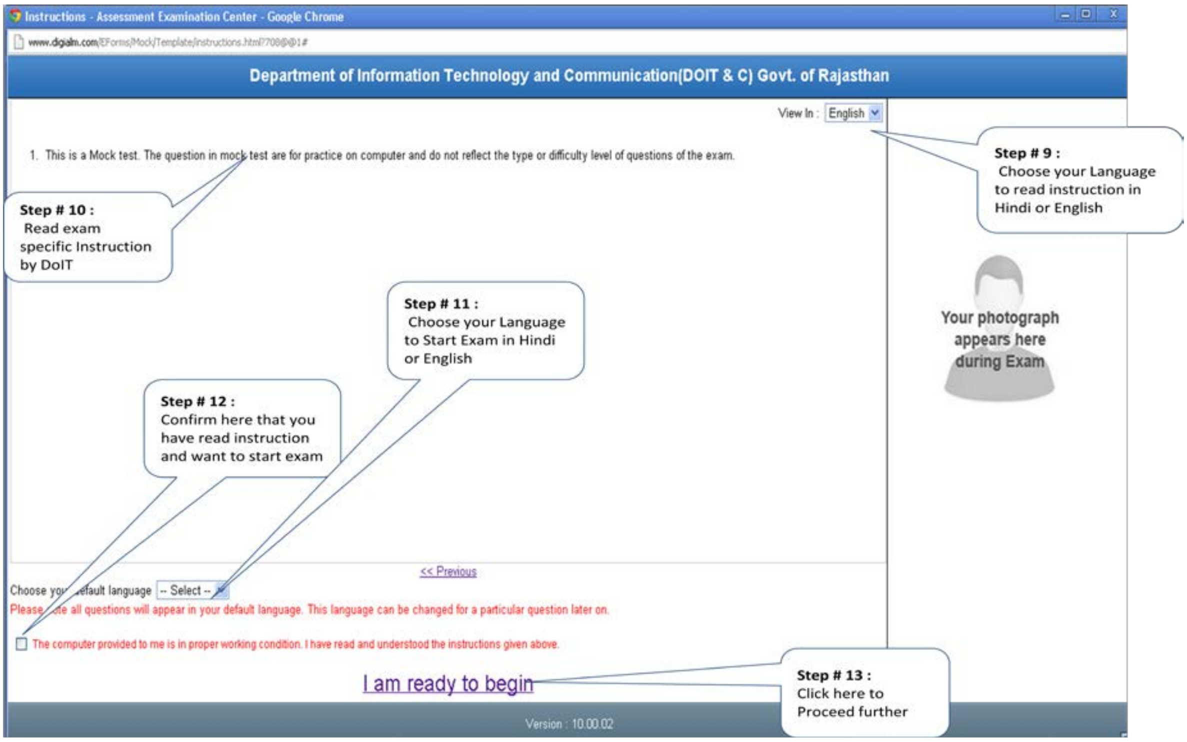

8–“I am Ready to Beign” क्लिक करने के बाद परीक्षा प्रारम्भ हो जावेगी व परीक्षा की अवधि दायी ओर दर्शायी जावेगी –

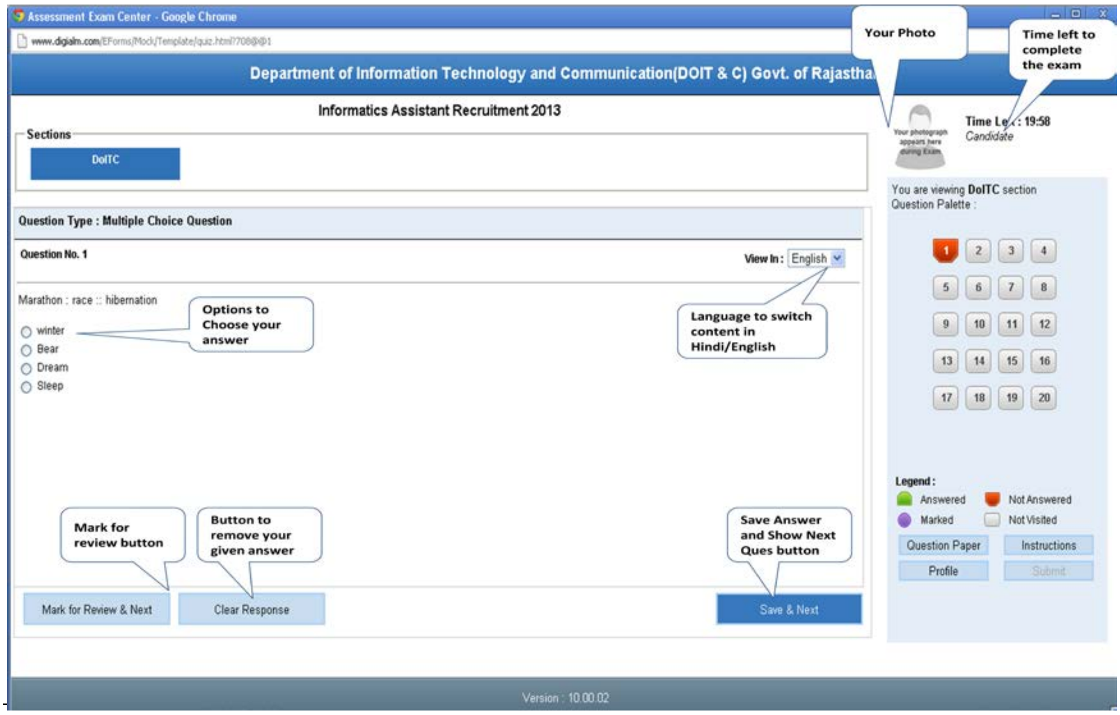

9. Submit Button परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही क्लिक करे। एक बार Submit Button क्लिक करने पर परीक्षा पूर्ण मानी जावेगी तथा पुनः परीक्षा हेतु अनुमति नही दी जायेगी। परीक्षा समयावधि समाप्त होने पर बिना Submit Button क्लिक के ही, स्वतः ही परीक्षा पूर्ण होने का संदेश प्राप्त हो जायेगा।

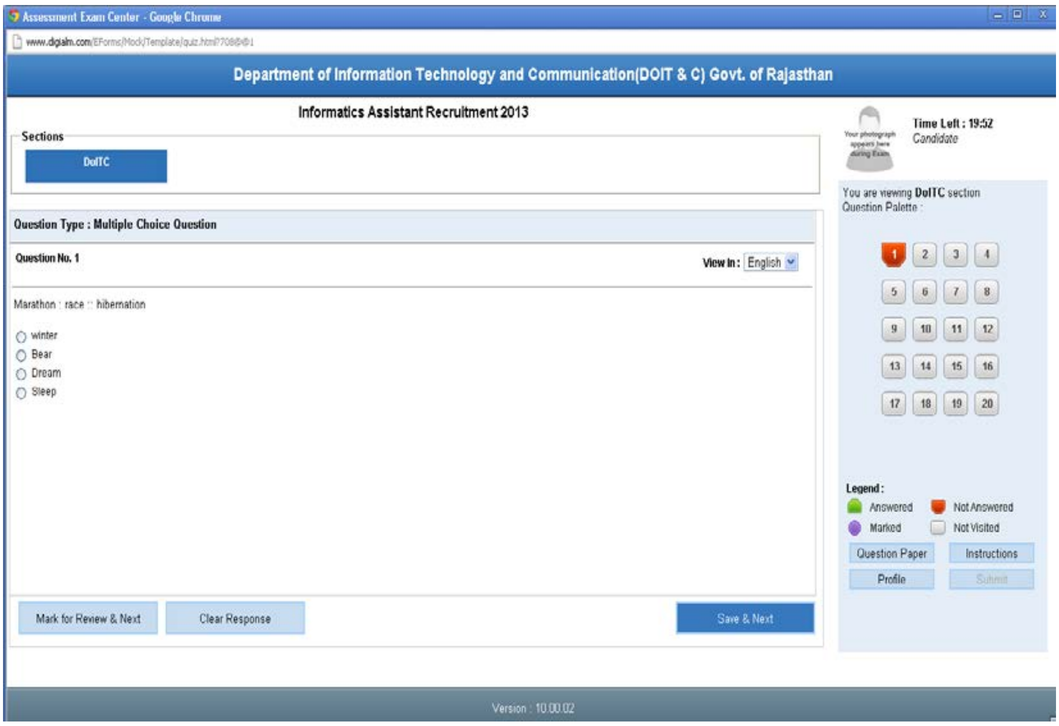

10–अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ प्रशनों के उत्तर रेडियो बटन के रूप मे दिए गए विकल्प (Option) को माउस उपयोग कर सलेक्ट करना है एवं उक्त प्रश्न के उत्तर को वह मार्क फार रिव्यू एण्ड नेक्स्ट (Mark for Review & Next), क्लीयर रेसपोंस (Clear Response), सेव व नेक्स्ट (Save & Next) कर सकता है उसी के अनुरूप प्रश्नो के उत्तर का रंग चेन्ज हो जावेगा।

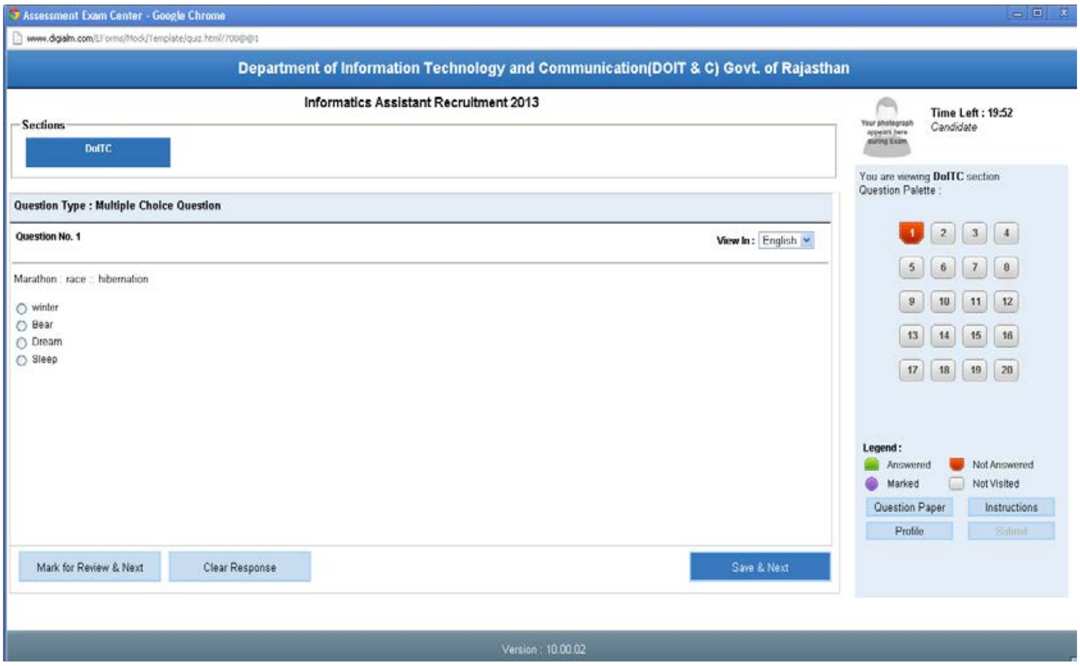

11– सभी प्रश्नों के उत्तरों को सेव व नेक्स्ट (Save & Next) करने पर सभी प्रश्नों का रंग हरा दर्शाया गया है–

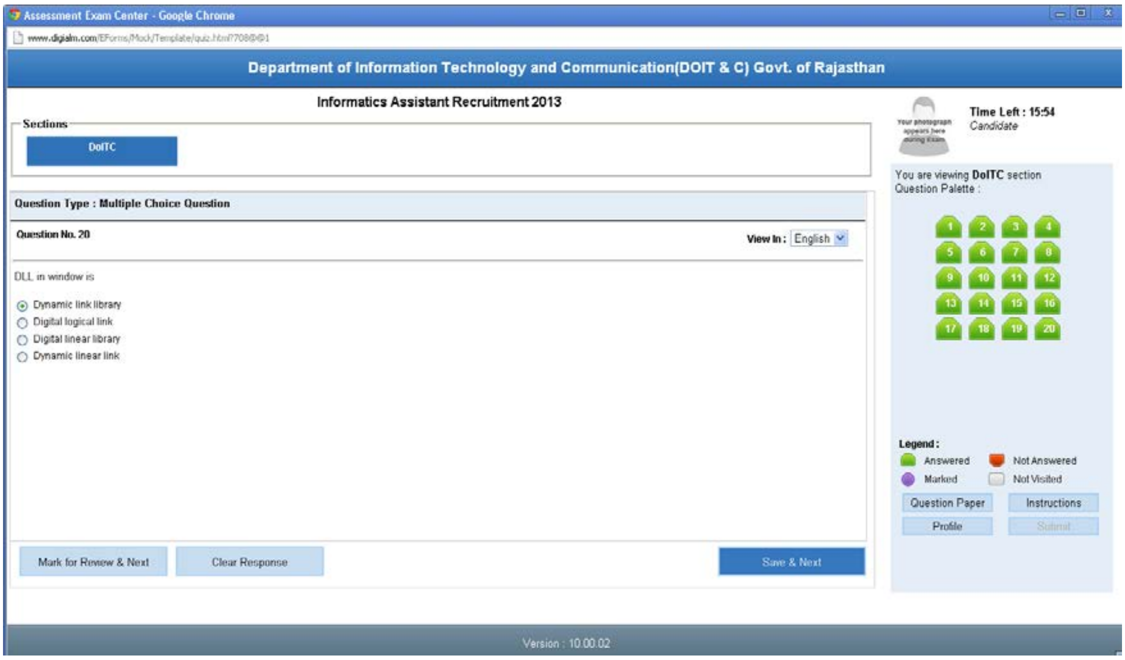

परीक्षार्थियों के आवश्यक निर्देश

सामान्य निर्देश

1. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लें । परीक्षार्थी को परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया गया है । परीक्षार्थी केवल इस तथ्य से कि उसे परीक्षा में बैठने के लिये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है ; यह मतलब नहीं है कि विभाग द्वारा उसे परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है । विभाग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी नियमानुसार परीक्षा हेतु पात्र नहीं है तो **उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है**।
2. विभाग द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र खो जाने आदि की स्थिति में परीक्षार्थी निर्धारित कंट्रोल रूम से प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकता है ।
3. परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले परीक्षा भवन में पहुंच कर तुरन्त अपनी सीट पर बैठ जायें । परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे । परीक्षा केन्द्र समन्वयक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनिट तक आने वाले परीक्षार्थी को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं किन्तु 15 मिनिट उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
4. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थानों को भली भांति देख ले कि वहां कोई पुस्तक, पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है । यदि उसके साथ अथवा आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह अभिजागर को सूचित करें अन्यथा इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा ।
5. परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों की नकल न करेगा और न अपने विकल्पों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को विभाग के नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा ।
6. परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है ।
7. केन्द्राधीक्षक/अभिजागर या विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी को पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा ।
8. प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व बायोमेट्रिक दर्ज किये जावेगे (बायोमेट्रिक मशीन पर अगूंठे व अगूंली के निशान लिये जावेगें) एवं फोटो केप्चर किया जावेगा । यह कार्य उपस्थिति पत्रक मे हस्ताक्षर करवाने एवं अगूंठा निशानी लगवाने से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।
   बायोमेट्रिक मशीन मे अभ्यर्थी के दाये हाथ का अगूंठा एवं इन्डेक्स फिंगर (अगूंठे के पास वाली) केप्चर किये जायेगें। दॉया हाथ का अगूंठा/अंगुली न होने की स्थिति मे बाये हाथ के अंगूठे/अंगूली के निशान लिये जावेगे।
9. परीक्षार्थी परीक्षा के समय उपस्थिति पंजिका (Attendance Sheet) में हस्ताक्षर व हाथ के अगूंठे का निशान देगा ।
10. परीक्षा समय प्रारंभ होने की सूचना एक घंटा बजा कर दी जायेगी । अभिजागर द्वारा परीक्षार्थियों को आवंटित कम्प्यूटर पर बैठाये जाने के बाद अपने कम्प्यूटर को भली–भांति जॉच ले तथा अभिजागर द्वारा बताये गये निर्देशों का ध्यान पूर्वक सुने एवं उनकी पालना करें ।

11. परीक्षा कक्ष में प्रवेश उपरांत परीक्षा समय शुरू होने से आधा घंटे तक परीक्षार्थी को शौच आदि हेतु परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, तत्पश्चात पूर्ण परीक्षा समय तक परीक्षार्थी एक बार अभिजागर की अनुमति से लघुशंका हेतु जा सकेगा।

12. विभाग द्वारा परीक्षा सामान्यतया कार्यक्रमानुसार ही आयोजित की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में विभाग परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर परिवर्तन कर सकता है ।

13. परीक्षा में बैठने के लिये किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा ।

14. परीक्षा कक्ष में धुम्रपान, मद्यपान, चाय व पान आदि का प्रयोग वर्जित है ।

विशेष निर्देश

(1) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी (Bi-lingual) भाषाओं में उपलब्ध होगें ।

(2) वस्तुपरक परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय (Multiple Choice) प्रकार का होगा ।

(3) परीक्षार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिये गये निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। **कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिये गये निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रृटि के लिये परीक्षाथी स्वयं जवाबदेह होगा** ।

(4) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिये गये होंगे, परीक्षार्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने के लिये उनमें से केवल एक विकल्प के रेडियो बटन को सलेक्ट करना होगा ।